

आम सूचना

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के सन्दर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, छ.ग.शासन, नवा रायपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में लॉक डाउन की अवधि 17 मई, 2020 तक बढ़ाई गयी है। इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि

- दुकानों / सेवाओं का संचालन निम्नानुसार रहेगा:-

सर्वथा प्रतिबंधित:-

1. हॉस्पिटैलिटी सेवायें जैसे— होटल, रेस्तरां इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। रेस्तरां से केवल होम डिलिवरी रात्रि 9:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) की जा सकेगी।
2. नाई की दुकानें, स्पा, सेलून आदि बंद रहेंगे।
3. सावर्जनिक परिवहन जैसे— बस, टैक्सी (ऑटो रिक्षा एवं सायकल रिक्षा सहित) तथा कैब सेवायें बंद रहेंगी।
4. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेलकूद कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, नाट्य शाला, बार एवं सभागार, असेम्बली हॉल एवं इसी प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे।
5. नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार नगरीय सीमा में चौपाटी, बाजार या अन्य स्थल, जहाँ चाट, पकौड़ी, फास्ट फुड तथा अन्य खाद्य के विक्रय हेतु अस्थायी ठेले इत्यादि लगाये जाते हैं, वह प्रतिबंधित रहेगा।

सप्ताह में 6 दिवस (सोमवार से शनिवार)

1. फल / सब्जी की दुकानें एवं मण्डी — प्रातः 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक संचालित हो सकेंगी।

सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार)

1. नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय से लायसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त सभी दुकानें (प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर) — प्रातः 9:00 से शाम 4:00 बजे तक।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें (प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर) — प्रातः 9:00 से शाम 4:00 बजे तक।

सप्ताह में प्रतिदिन—

1. दूध / डेयरी की दुकानें, मिल्क पार्लर — सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक
2. वैंकिंग सेवाएँ, इनश्योरेंस सेवायें, एनबीएफसी, गैस एजेंसी — प्रातः 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक।
3. मेडिकल सेवाएँ, चश्मे की दुकानें, पैट्रोल पम्प, एटीएम, मीडिया संस्थान, टेलीफोन एवं इंटरनेट सुविधाएँ, फायर ब्रिगेड, गुड्स एवं कैरियर सेवाएँ, पेयजल सुविधा, सफाई एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाएँ, विद्युत सेवायें, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित आकस्मिक सेवाएँ — कोई समय सीमा नहीं।

- उपरोक्त निर्देश घोषित कर्नेनमेंट जॉन में लागू नहीं होंगे।
- नगरीय क्षेत्रों में जिन मार्केटों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो, उन्हें नगरीय निकाय द्वारा पृथक से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

- पान ठेलों पर बिकने वाले सामान जैसे— सिग्रेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, गुटका इत्यादि के केवल बिक्रय की अनुमति रहेगी । सार्वजनिक स्थानों पर इन पदार्थों का उपभोग सर्वथा प्रतिबंधित रहेगा । उपभोग किये जाने पर अर्थदण्ड लगाया जावेगा ।
- सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे ।
- सभी धार्मिक स्थल जन साधारण के लिये बंद रहेंगे । समरत सामूहिक, धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे ।
- अंत्येष्ठि एवं अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में अधिकतम 20 व्यक्ति समिलित हो सकेंगे ।
- वैवाहिक कार्यक्रमों का आयोजन निजी स्थानों पर हो सकेगा एवं अधिकतम 20 व्यक्तियों को समिलित होने की अनुमति रहेगी ।
- पूर्व में प्रचलित नियम अनुसार दो पहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित विशेष परिस्थिति में अधिकतम दो व्यक्ति आवागमन कर सकेंगे, अन्यथा की रिस्ति में अर्थदण्ड एवं दांडिक कार्यवाही की जावेगी ।
- सार्वजनिक स्थल पर थूकना, बिना मूँह ढकें विचरण करने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी । सार्वजनिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।
- अनावश्यक विचरण प्रतिबंधित रहेगा एवं सर्वथा दण्डनीय होगा ।
- उद्योगों एवं निजी कार्यालयों के संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा समय—समय—पर जारी निर्देश एवं प्रतिबंध पूर्ववत् लागू रहेगा ।
- अन्य जिला/राज्य के बाहर से आवागमन हेतु अनुमति आवश्यक होगी ।